1. भाषा

हिन्दी (वर्ग- XI - XII)

1. प्रस्तावना :

भाषा के बिना यह जीवन-जगत् एक अर्थ में अंधकारमय है। इसे हम देखकर भी जान-समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। भाषा एक महती शक्ति और प्रकाश है। वह साधन और माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन-जगत् को जान-समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं; तथा प्राप्त अनुभव और ज्ञान को व्यक्त कर पाते हैं। भाषा के द्वारा ही हम विचार करते हैं और अपने विचारों और अनुभवों को प्रकट कर पाते हैं। इसके सहारे ही हम अपने अनुभव, विचार, संवेदन, इच्छाएँ और मनोभाव दूसरों तक सम्प्रेषित कर पाते हैं। यह सम्प्रेषण का एकमात्र विश्वसनीय आधारभूत माध्यम है। भाषा-क्षमता अर्जित करते हुए ही हम मानसिक-बौद्धिक विकास को प्राप्त करते हैं जो अन्य प्रकार की प्रगति और विकास का मूल है। इस रूप में भाषा की शिक्षा अन्य तमाम विषयों की शिक्षा का आधार और सहयोगी है। स्वभावत: शिक्षण की लम्बी प्रक्रिया में भाषा-शिक्षण और भाषा-परिष्कार का कार्य निरंतरता की अपेक्षा रखता है।

भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिन्दी व्यापक जन की भाषा है। एक हजार वर्षों से भी अधिक समय से विकसित होती आयी हिन्दी भाषा और उसका वैविध्यपूर्ण व्यापक एवं विस्तृत साहित्य विविध भाषा-भाषियों, अनेक जातियों, धर्मों-सम्प्रदायों, लोक संस्कृतियों और विचारधाराओं द्वारा सेवित-संवहित होता आया है। इसमें हजार वर्षों से व्यापक भारतीय जनता की आशा-आकांक्षा, हर्ष-विषाद, संकल्प-विकल्प और स्वप्न-यथार्थ की अबाध अभिव्यक्ति होती आयी है। हिन्दी भाषा-साहित्य के सुदीर्घ इतिहास में अनेकानेक प्रवृत्तियाँ और परम्पराएँ बनीं और विलीन हुईं। वे कभी दिखीं तो कभी अंतर्धान होकर आगे पुन: परिवर्तित रूपों में प्रकट हुईं। हिन्दी भाषा और साहित्य को पुराने युगों में कभी राजसत्ता और धर्म जैसी प्रभावशाली शक्ति का संरक्षण मिला हो अथवा नहीं; लोक संरक्षण इसे सदैव प्राप्त रहा। इसी लोकसंरक्षण् के बल पर वह अपनी शक्ति, प्रभाव, क्षमता और विस्तार को आगे बढ़ाते हुए स्वाधीनता संघर्ष का, अहिन्दी भाषियों द्वारा भी सहर्ष स्वीकृत, प्रमुख माध्यम बनी। इसकी क्षमताओं और लोकप्रियता को ही दृष्टिपथ में रखकर संविधान निर्माताओं ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित किया। आज यह भाषा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में भारत राष्ट्र के महान् गौरव के अनुरूप अपनी पहचान और प्रतिष्ठा अर्जित कर रही है। यह सरकारी-गैरसरकारी गतिविधियों, सरोकारों और व्यवहारों में बहुविध रूपों और छवियों में अपनाई जाकर अपनी प्रगति और विकास के नये आयामों को तय करती दिखाई पड़ रही है। यह आधुनिक जीवन और वैश्विक व्यवहारों-सरोकारों में उद्योग-धंधे, व्यापार-वाणिज्य, राजनीति-अर्थनीति, युद्ध और शांति, ज्ञान-विज्ञान-प्रौद्योगिकी, दण्ड-न्याय, शिक्षा-संस्कृति-कला-शिल्प-साहित्य-धर्म आदि तमाम धरातलों पर कुशलतापूर्वक वर्धमान और विकसनशील है। इन व्यापक व्यवहारों और बहुव्याप्तियों के अनुरूप हिन्दी भाषा में आज नई-नई प्रयुक्तियाँ प्रकट हो रही हैं, नये-नये पारिभाषिक शब्द निर्मित हो रहे हैं और तद्नुरूप व्याकरण में भी नये परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं।

हिन्दी

हिन्दी प्रदेश-विशेष की भाषा नहीं है। उसके नाम और स्वरूप में ही राष्ट्रीय व्याप्ति की आकांक्षा और शक्ति अंतर्निहित है। यह बात न्यूनाधिक रूप में उसके ऐतिहासिक विकास से भी प्रमाणित होती है। हिन्दी की अनेक उपभाषाएँ, विभाषाएँ या बोलियाँ हैं जिनमें से कई तो साहित्यिक भाषा के रूप में ऐतिहासिक प्रतिष्ठा पहले ही अर्जित कर चुकी हैं। ये बोलियाँ व्यापक हिन्दी क्षेत्र के अनेक प्रदेशों में फैली हुई है। बिहार भी मूलत: एक ऐसा हिन्दी भाषा प्रदेश है जिसमें अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। इनमें मैथिली का तो पुराना साहित्यिक इतिहास भी हैं। मैथिली के साथ ही भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि में अपना स्वतंत्र साहित्य भी है और वह लगातार लिखा जा रहा है। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और बंगला भाषाएँ भी अपना सम्मानित स्थान रखती हैं। इस तरह बिहार के बहुभाषिक परिवेश में हिन्दी एक ओर मातृभाषा के रूप में और दूसरी ओर व्यापक राष्ट्रभाषा और शिक्षण-साहित्य की भाषा के रूप में भी उपस्थित और समादृत है।

बिहार में हिन्दी-शिक्षण की अनेक समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं जो विशेष रूप से यहाँ की विभाषाओं या बोलियों की ओर से आती हैं। प्राय: बच्चे इन बोलियों के परिवेश में ही जन्म लेते हैं और उनका आरंभिक पालन-पोषण होता है। वे इन्हें ही मातृभाषा के रूप में प्राय: प्राप्त करते हैं। स्वभावत: उनके हाव-भाव, उच्चारण और अभिव्यक्तियों पर इनका गहरा रंग-प्रभाव होता है। प्रारंभिक वर्गों में हिन्दी शिक्षण का यह तकाजा है कि बच्चों की हिन्दी उत्तरोत्तर उच्चारण, वर्तनी, वाक्य-रचना और अभिव्यक्ति में मानकीकरण की ओर उन्मुख होती जाये और शीघ्र ही बोलियों के संकीर्ण और स्थानीय प्रभावों से मुक्त हो जाये।

2. ज्ञान विस्तार :

स्वभावत: विद्यालयीय शिक्षण में हिन्दी भाषा-साहित्य के शिक्षण के लिए विशेष सजगता, सावधानी और गंभीरता की आवश्यकता है। विद्यालयीय शिक्षा पूरी होने तक छात्र का भाषा और साहित्य विषयक बोध इतना विकसित हो जाना चाहिए कि उसमें गद्य-पद्य की किसी रचना के संबंध में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। वह निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त भी किसी रचना को पढ़कर उसके बारे में अपनी भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। वह विविध विषय-क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा तथा भिन्न संदर्भ और जरूरतों के अनुसार अलग-अलग शैली रूपों से परिचित हो सके। छात्र को हिन्दी भाषा की विशेषता, सूक्ष्मता और सौंदर्य की पहचान और परख हो सके।

भाषा के माध्यम से छात्र अपने यथार्थ जगत् को समझ सके और कल्पना के संसार की रचना कर सके। भाषा के द्वारा उसके ज्ञान क्षेत्र का इतना विस्तार हो कि वह अखबारों में आनेवाले व्यक्ति, परिवेश, समाज, संस्कृति आदि की जानकारी रख सके और इस जानकारी में कहाँ क्या बढ़ोत्तरी वांछित है, इसकी पहचान कर सके।

3. कौशल विस्तार :

स्कूली शिक्षा के दौरान हिन्दी भाषा में अपनी ऐसी दक्षता और पकड़ छात्र बना सके कि वह पाठक, श्रोता, वक्ता, लेखक और विश्लेषक के रूप में आत्मविश्वास अनुभव कर सके। आवश्यकता पड़ने पर वह अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकों आदि से सामग्री एकत्र कर उसका सटीक उपयोग कर सके। भाषा में दक्षता और कौशल के बल पर वह श्रव्य-दृश्य संचार-माध्यमों पर प्रसारित परिचर्चाओं-वार्ताओं-भाषणों आदि को सहजता से सुनकर समझ सके। छात्र अपनी अर्जित भाषिक दक्षता और कौशल के बल पर वाद-विवाद, चर्चाओं, भाषणों आदि में समर्थ प्रतिभागिता का प्रमाण दे सके तथा व्यवस्थित तथा असरदार तरीके से अपने विचारों-भावों और संवेदनों को बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त कर सके। भाषा उसमें जरूरी मानसिक बौद्धिक गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को सम्पन्न बनाये।

4. रुचि और रुझान :

भाषा का शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि छात्र में बिहार की बोलियों और अन्य भाषाओं की विविधता के प्रति स्वीकृति और सद्भाव-सम्मान का भाव बने तथा हिन्दी के सहारे अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा का भाव भी विकसित हो। हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को जान-समझकर उनकी अच्छाइयों को आत्मसात कर सकने की मनोवृत्ति जन्म ले। जातिवाद, वर्गवाद, ऊँच-नीच के संकीर्ण मनोभाव, धर्म-सम्प्रदाय को लेकर मन में गाँठ बना लेने वाली कट्टरता, लिंग-भेद आदि विगलित हों और मन में सहिष्णुता, सद्भाव, उदारता और सहज अपनापन के भाव जन्में और बद्धमूल हों, तभी हिन्दी भाषा और साहित्य का शिक्षण सार्थकता प्राप्त कर सकता है।

5. पाठ्यपुस्तक :

विद्यालयीय छात्रों में उपर्युक्त योग्यता, दक्षता और सामर्थ्य विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों, विशेषत: हिन्दी भाषा-साहित्य की पाठ्यपुस्तकों में ऊपर चर्चित विशेषताओं का सन्निवेश हो। यह सच है कि पाठ्यपुस्तकें ही भाषा-साहित्य के शिक्षण का एकमात्र स्रोत नहीं होतीं, किन्तु वे प्राथमिक रूप से अधिकृत रूप में एक मार्ग, एक दिशा देती हैं और संबद्ध विषय में छात्रों के मानसिक-बौद्धिक अभिनिवेश में तत्काल सहायक होती हैं। इसलिए उनमें संकलित रचनाएँ और अभ्यास योग्य एवं उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अत्यंत सावधानी और गंभीरता से तैयार किए जायें ताकि छात्रों में वांछित ज्ञान, समझ, दृष्टिकोण, अभिरुचि, संस्कार और कौशल को बनाने-सँवारने और बढ़ाने म
प्रधानतापूर्वक सहायक हों। पाठ्यपुस्तकें साधन और माध्यम के रूप में छात्रों में कक्षा-दर-कक्षा भाषा-सामर्थ्य को पैनी, दृढ़तर और बहुमुखी बनाती चलें तथा उनमें साहित्य की प्रकृति, स्वरूप, प्रयोजन और उद्देश्य की समाज-संबद्ध, जिम्मेदार व संवादी चेतना अधिकाधिक गहरी होती चलें।

इन पुस्तकों में कौतूहलपरक, जिज्ञासावर्धक तथा जीवन-जगत् के अनेकानेक सरोकारोंवाली विविधतापूर्ण रचनाएँ शामिल हों और उनसे जुड़े हुए ऐसे अभ्यास हों कि छात्र उन्हें तनावमुक्त सहजता से आत्मसात् करते हुए उनपर भावात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया कर सकें। रचनाओं के चयन, क्रमव्यवस्था, विषय-वस्तु और स्वरूप में यह ध्यान रखा जाय कि छात्र रचना पढ़ते समय अन्य विषयों की अवधारणाओं से उसे जोड़ पाएँ और दोनों के अंतर्संबंध देख सकें।

पाठ्यपुस्तकों में विषय-वस्तु के फलक इतने विस्तृत होने चाहिए कि आधुनिक समाज के विविध सरोकारों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो, जैसे- पर्यावरण, परिवेश, संवैधानिक दायित्व, लोकसंस्कृति, व्यापार-वाणिज्य और विविध व्यवसाय, बाजार, सिनेमा, खेल-जगत्, नाटक, नृत्य, संगीत, उद्योग-धंधे, कृषि, मीडिया, विज्ञान जगत्, पर्वत-समुद्र-अंतरिक्ष, राजनीति, धर्म आदि। इन विषय-वस्तुओं के द्वारा भाषा के विविध प्रयोगों, संदर्भों, उनकी शब्दावलियों और अवधारणाओं से छात्रों का परिचय हो और जीवन-जगत् के विविध रूपों को वे आत्मसात् कर सकें।

पाठ्यपुस्तकों द्वारा मानसिक वातावरण निर्मित होता है और उससे संबद्ध अभ्यास प्रश्नों द्वारा छात्र विषय-वस्तु को परखने, उनसे गहराई के साथ जुड़ने के साथ उनके विश्लेषण का कौशल विकसित करते हैं। अभ्यास प्रश्नों द्वारा रचना के बिन्दुवार परख-विश्लेषण, अवबोध तथा विषय के विविध पहलुओं को देखने और आँक सकने की अंतर्दृष्टि भी विकसित होती है।

6. व्याकरण और रचना :

यह तथ्य सर्वस्वीकृत है कि भाषा एक अनुशासन है और बच्चों में मातृभाषा के जरिए व्याकरण और रचना की एक आधारभूत, अन्त:स्फूर्त और सहज समझ संस्कारत: चली आती है। जरूरत सिर्फ उसे सचेत रूप से स्पष्ट करने, दिशा और विस्तार देने तथा समुचित अभ्यास द्वारा उसके प्रति जागरूक बनाने की होती है। भाषा मातृभाषा के धरातल से उठकर सतत् परिमार्जित होती हुई सीखने-जानने की पूरी अवस्था तक विकसित होती चलती है। परिमार्जन और विकास की इस प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से व्याकरण की समझ भी बनती चलती है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर के उच्चतर वर्गों के छात्रों के लिए एक स्वतंत्र व्याकरण पुस्तक तैयार की जानी चाहिए जिसमें व्याकरण और रचना के नियमों की बोझिल, सैद्धांतिक आकृतियाँ न हों, बल्कि पाठ्यपुस्तकों में शामिल पाठों और दैनंदिन जीवन के भाषायी व्यवहारों

एवं पत्र-पत्रिकाओं के दैनिक पाठों के धरातल पर निर्भर अनुप्रयुक्त व्याकरणिक समझ को उपयोगी तरीके से बोध में लाने की कोशिश की गई हो। इससे कई लाभ होंगे। एक तो, पाठ्यपुस्तकों में शामिल रचनाओं के चयन और निर्माण में व्याकरण और रचना की व्यावहारिक समझ जगा सकने के लिए अपेक्षित जागरूकता बरती जा सकेगी तथा छात्र मुख्य पाठ्यपुस्तक की रचनाओं के द्वारा ही रचना और व्याकरण संबंध ी नियमों और प्रयोगों के द्वारा ही रचना और व्याकरण संबंधी नियमों और प्रयोगों को सहज ही सीख सकेंगे। इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होगा। दूसरे, यह कि दैनंदिन जीवन के भाषायी व्यवहारों, वार्ताओं एवं पत्र-पत्रिकाओं और संचार माध्यमों में प्रयुक्त भाषा के प्रति छात्र सचेत और जागरूक हो सकेंगे। यह आम शिकायत रही है कि हमारे छात्र पठन-पाठन की दुनिया से बाहर के भाषायी व्यवहारों में लापरवाह होते हैं, जानते हुए भी वे धड़ल्ले से गलतियाँ दुहराते रहते हैं। भाषा की दृष्टि से ये शिकायतें कुछ दूर हो सकेंगी और छात्र पाठ्य-पुस्तकों के बाहर की दुनिया से भी भाषायी अनुशासन का संस्कार अर्जित कर सकेंगे। व्याकरण और रचना का ज्ञान, यह सही है कि अंततः अभ्यास साध्य होता है, किन्तु इसका प्रयत्न तो किया ही जा सकता है कि व्याकरण और रचना का ज्ञान और अभ्यास तनावपूर्ण, अरुचिकर और उबाऊ न हो। व्याकरण सहज साध्य बन सके, भाषा की रचनात्मक बनावट और तंतुओं की सहज और सुगम सिद्धि हो सके, इसके लिए छात्रों को आपस में तथा स्कूल के बाहर के लोगों के साथ वार्तालाप में भी सीखे हुए अथवा अर्जित व्याकरण ज्ञान के सहज अनुशासन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से तैयार की जानेवाली व्याकरण और रचना की पुस्तक में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पुस्तक को तैयार करने के क्रम में हिन्दी भाषा के उद्गम और ऐतिहासिक विकास क्रम को उसके विविध चरणों के साथ व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट दर्शाते हुए एक संक्षिप्त आलेख भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि छात्र यह समझ सकें कि आज की उनकी हिन्दी हजार वर्षों के लम्बे ऐतिहासिक विकास क्रम में किन-किन स्तरों पर परिवर्तित होती हुई यहाँ तक पहुँची है। इस आलेख में उसके भावी विकास के कुछ संकेत भी स्पष्ट होने चाहिए।

7. पूरक पाठ्यपुस्तक :

हजार से भी ज्यादा वर्षों में फैले हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास की एक संक्षिप्त, सारगर्भित एवं प्रामाणिक समझ विद्यालय के उच्चतर वर्ग के छात्रों को देने के लिए पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में एक स्वतंत्र पुस्तक होनी चाहिए जिसमें हिन्दी भाषा के विकास के विविध चरणों और विशेषताओं के साथ-साथ हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों की आधारभूत जानकारी दी गई हो। इस पुस्तक में विभिन्न युगों की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियों और सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ प्रमुख रचनाकारों का संक्षिप्त और प्रामाणिक परिचय दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के निर्माण और लेखन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास की एक ठोस आधारभूत जानकारी छात्रों को हो सके, ऐसी जानकारी जिसके आलोक में वे भाषा और साहित्य के समकालीन परिदृश्य को समझ सकें। हजार वर्षों के इस लम्बे इतिहास में अनेक भाषा, साहित्य और संस्कृति संबंधी आंदोलनों की प्रेरणाएँ और प्रभाव विभिन्न युगों में काम करते रहे हैं। देशी-विदेशी प्रेरणाएँ और प्रभाव भी जब-तब हमारी भाषा और साहित्य में सक्रिय रहे हैं। इन सबके बारे में एक प्रामाणिक जानकारी इस देश के हर शिक्षित नागरिक के लिए अनिवार्य है। आगे के उच्चतर शिक्षण में छात्र के अध्ययन-शिक्षण की चाहे जो भी दिशा हो भाषा-साहित्य की एक मूलभूत प्रामाणिक अनभिज्ञता तो अपेक्षित है ही। यह पुस्तक इसी जरूरत की पूर्त्ति के लिए सहज और सुगम भाषा में तैयार की जानी चाहिए।

8. सहायक पाठ :

भाषा और साहित्य की हमारी आज की समझ समाज, राजनीति, व्यापार-वाणिज्य, विज्ञान और तकनीक के द्रुत विकास से अछूती नहीं है। आज का साहित्य कल्पना और भावना के सहारे लिखा जानेवाला निरा वाग्-विलास नहीं है। वह हमें जीवन-जगत् और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का साधन भी है। वह जिस सौंदर्य बोध को आज के मनुष्य के भीतर जगाना और प्रतिष्ठित करना चाहता है, वह सौंदर्यबोध नैतिकता और मानव संवेदनाओं की उपेक्षा करके चलनेवाला सौंदर्यबोध नहीं है। वह सौंदर्यबोध मनुष्य के रूप में हमें इस तरह निखारता है कि हम कुछ और बेहतर तथा और पूर्णतर हो जाते हैं। साहित्य का हमारा पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो साहित्य के बारे में और उसकी भूमिकाओं के बारे में आज के विविध अनुशासनों के आलोक में हमें ठोस तरीके से जागरूक और सचेत कर सकें। इसलिए साहित्य के विविध उपकरणों और प्रकार्यों के बारे में एक मूलभूत अभिज्ञता भी विकसित होती चलनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि साहित्य के विविध रूपों, तत्वों, प्रविधियों एवं समसामयिक अवधारणाओं के साथ-साथ साहित्य में प्रयुक्त भाषा, छंद, लय, कल्पना, यथार्थ के अतिरिक्त विविध ज्ञानानुशासनों और कलाओं के समावेश से आनेवाले परिवर्तनों को भी समझा और समझाया जा सके। इसके लिए साहित्यशास्त्र संबंधी आधारभूत मान्यताओं के बोध के लिए एक स्वतंत्र पुस्तिका की परिकल्पना की जानी चाहिए।

9. उद्देश्य :

- किशोरावस्था से युवावस्था के संधिस्थल पर पहुँचे उन समस्त छात्र-छात्राओं को विमर्श की एक ऐसी भाषा प्रदान करना है जिससे उनमें हिन्दी की एक व्यापक समझ का क्रमिक विकास तो हो ही, उनमें अर्जित की जानेवाली भाषा के अभिव्यक्ति-कौशलों को पहचानते चलनेवाली शक्ति का भी विकास होता चले और वे उन भाषा-कौशलों का उत्तरोत्तर दक्षता के साथ अपने दैनंदिन जीवन में लिखित और वाचिक रूप में प्रयोग भी करते चलें।

- इस स्तर पर छात्र-छात्राएँ हिन्दी भाषा और साहित्य का अध्ययन एक सर्जनात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रयुक्तियों के दृष्टिकोण से करते हुए हिन्दी के निरंतर विकसित होते हुए अखिल भारतीय स्वरूप से भी अपना परिचय स्थापित करने में समर्थ हो सकें।
- इस स्तर पर उनमें सर्जनात्मक साहित्य के प्रति रुझान उत्पन्न होगी तथा वे उसके अध्ययन में भरपूर आनंद उठाते हुए उसके गुण-दोषों की पहचान करते हुए स्वतंत्र रूप से उसके आलोचनात्मक आकलन में समर्थ हो सकेंगे।
- यह बदलाव उनमें हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं, उनके महत्त्वपूर्ण रचनाकारों तथा शैलीगत विशेषताओं से परिचित करा सकेगा।
- इस परिवर्तित पाठ्यक्रम से उनमें भाषा की सर्जनात्मक बारीकियों और उसके व्यावहारिक प्रयोग-वैविध्य की समझ उत्पन्न होगी जिससे वे विभिन्न ज्ञानानुशासनों में विमर्श की भाषा के रूप में हिन्दी की महत्त्वपूर्ण भूमिका का अनुभव कर सकेंगे।
- इस पाठ्यक्रम के द्वारा वे विविध संचार-माध्यमों में प्रयुक्त हिन्दी की विविध विधाओं तथा उनकी प्रकृति से परिचित होते हुए उनमें नित्य-नूतन प्रयोगों के प्रति भी प्रेरित और प्रोत्साहित होते रहेंगे।
- इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इस स्तर के कल्पनाशील छात्रों की कल्पना-शक्ति को और भी उद्बुद्ध और सक्रिय करना तो है ही, इस दिशा में उनकी गति को उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ़तर करते हुए उन्हें इस योग्य बनाना भी है कि वे किसी रचना को व्यापक फलक पर रखकर उसकी प्रशंसनीय मूल्यांकन-क्षमता से सम्पन्न हो सकें।

10. शिक्षण-युक्तियाँ :

- छात्रों और शिक्षकों के बीच अबाध संवाद के लिए दबाव अथवा तनाव मुक्त वातावरण अपेक्षित है। अतएव छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देना आवश्यक है। शिक्षण में जोर कंठस्थ कराने से अधिक पाठों की गहरी समझ तथा सम्बद्ध व्याकरण और रचना में पारंगति पर दिया जाना चाहिए।
- उलझनों और शंकाओं का रचनात्मक समाधान करते हुए छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनके विचारों को महत्त्व देते हुए अध्यापक द्वारा छात्रों की राय अथवा विचारों को विश्वसनीय रूप से सहेजते हुए व्यवस्थित रूप में पुनर्प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- छात्रों को एक भीड़ या नामहीन समूह के रूप में न देखकर व्यक्तिशः पहचानना और महत्त्व देना चाहिए। शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ एक अध्यापक नहीं, बल्कि कक्षा में एक कुशल संयोजक भी हैं। छात्रों की टूटी-फूटी, खंडित या अधूरी अभिव्यक्तियों को उन्हें प्रोत्साहन देते हुए पूरा करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़कर अधिक समग्रता में सोचने और व्यक्त कर सकने के लिए अवसर अथवा अवकाश देना चाहिए।
- छात्रों को बिना उन्हें तनाव में डाले विषयों पर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए और उनके लिखे हुए को रुचिपूर्वक समुचित ध्यान देते हुए परखना तथा सँवारना चाहिए।
- निर्धारित पाठ्य-पुस्तक से अलग हटकर विद्यालय के पुस्तकालय अथवा दूसरे स्रोतों से ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो पठित विषयों और उनसे सम्बद्ध अन्य विषयों की आगे और विस्तृत जानकारी सुलभ कराती हों। इसके लिए पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में छात्रों को निरंतर बताते हुए उनके भीतर उत्कंठा जगानी चाहिए। कक्षा के अध्यापन के पूरक कार्य के रूप में संगोष्ठी, अभ्यास, वर्ग, छात्रों के बीच सामूहिक परिचर्चा, परियोजना-कार्य और स्वाध्याय हेतु वाचनालय में बैठने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। बीच-बीच में लेखक, समाजकर्मी या क्षेत्र-विशेष के विशिष्ट जनों को छात्रों के बीच गोष्ठियों में आमंत्रित करने का आयोजन भी आवश्यक है।

11. पाठ्यपुस्तक का स्वरूप :

(वर्ग- XI)

इस वर्ग में 'दिगंत भाग-1' नाम की एक पुस्तक होगी जिसमें 12 गद्य पाठ, 12 पद्य पाठ एवं 3 पाठ द्रुतवाचन के लिए होंगे। गद्य पाठों के चयन में हिन्दी के गद्य-रूपों की विविधता, विकास-क्रम का तो ध्यान रखना होगा ही, साथ ही हिन्दी से इतर दूसरी भाषाओं की भी श्रेष्ठ रचनाओं से छात्रों का परिचय जरूरी होगा। पाठों के चयन में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि छात्र अपनी साहित्यिक विरासत से परिचय प्राप्त करें और साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण का भी विकास कर सकें। पद्य खंड में हिन्दी के 12 कवियों की रचनाएँ हिन्दी कविता के विकास-क्रम को ध्यान में रखकर दी जा सकेंगी। यह विकास-क्रम प्राचीनता और आधुनिकता का संतुलित बोध करा सकेगा। इन दो खंडों के अतिरिक्त इस पुस्तक में एक तीसरा खंड द्रुतवाचन का होगा जिसमें एशिया की चुनिंदा तीन कहानियाँ शामिल की जाएँगी। इस खंड को छात्र बिना अतिरिक्त बोझ के पढ़ सकेंगे।

गद्य खंड :

1. प्रेमचंद - पूस की रात (कहानी)
2. रामचंद्र शुक्ल - कविता की परख (वैचारिक निबंध)
3. कुमार गंधर्व - भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ : लता मंगेश्कर (व्यक्तिपरक निबंध)
4. विष्णुभट गोडसे वरसईकर - आँखों देखा गदर (संस्मरण)
5. सत्यजित राय - चलचित्र (फिल्म पर निबंध)
6. भोला पासवान शास्त्री - मेरी वियतनाम यात्रा (यात्रा-वृत्तांत)
7. कृष्णा सोबती - सिक्का बदल गया (कहानी)
8. फणीश्वरनाथ रेणु - उतरी स्वप्न परी : हरी क्रांति (रिपोर्ताज)
9. हरिशंकर परसाई - एक दीक्षांत भाषण (व्यंग्य)
10. ओदोलेन स्मेकल - सूर्य (सांस्कृतिक निबंध)
11. मेहरून्निसा परवेज - भोगे हुए दिन (कहानी)
12. कृष्ण कुमार - बुनियादी शिक्षा (भाषण)

पद्य खंड :

1. विद्यापति - चानन भेल विषम सर रे, सरस बसंत समय भल पाओल
2. कबीर - संतो देखत जग बौराना, हो बलैया कब देखौंगी तोहि
3. मीराबाई - जो तुम तोड़ो पिया, मैं गिरधर के घर जाऊँ
4. सहजोबाई - मुकुट लटक अटकी मन माही, राम तजूँ पै गुरु न बिसरूँ
5. भारतेन्दु हरिश्चंद्र - भारत-दुर्दशा
6. मैथिलीशरण गुप्त - झंकार
7. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' - तोड़ती पत्थर
8. नागार्जुन - बहुत दिनों के बाद
9. त्रिलोचन - गालिब (सॉनेट)
10. केदारनाथ सिंह - जगरनाथ
11. नरेश सक्सेना - पृथ्वी
12. अरुण कमल - मातृभूमि

द्रुतवाचन खंड : एशियाई देशों की तीन कहानियाँ।

इस वर्ग में 'व्याकरण, रचना और साहित्य-रूप' की एक स्वतंत्र पुस्तक होगी जो वर्ग- **XI** और **XII** दोनों के लिए होगी। इस पुस्तक में के व्याकरण एवं रचना खंड में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, काल, क्रिया, निपात आदि व्याकरणिक प्रकरणों के अब तक सीखे जाने हुए तथ्यों के सुव्यवस्थित पाठ एवं अभ्यास वर्ग-**XI** के लिए होंगे।

साहित्य-रूप वाले खंड में साहित्यशास्त्र, काव्य-रूप और साहित्यिक विधाओं के संबंध में आधारभूत और प्रामाणिक जानकारी होगी जो आकार में लघु होने के बावजूद शब्द-शक्ति, रस, ध्वनि, छंद, लय, अलंकार के अतिरिक्त महाकाव्य, खंडकाव्य, चम्पूकाव्य, मुक्तक, प्रगीत तथा गद्य की विविध विधाओं एवं रचना-रूपों, जैसे- निबंध एवं उसके प्रभेदों के साथ-साथ उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, शब्दचित्र, जीवनी, संस्मरण तथा नाटक एवं एकांकी विषयक तात्विक बोध छात्रों को कराने में समर्थ होगी।

पूरक पाठ्य पुस्तक : पूरक पाठ्य-पुस्तक के रूप में 'हिन्दी भाषा और साहित्य की कथा' नाम की एक पुस्तक होगी। यह पुस्तक कक्षा- **XI** एवं कक्षा- **XII** दोनों के लिए होगी। इस पुस्तक में हिन्दी भाषा और साहित्य का संक्षिप्त इतिहास होगा। इस इतिहास में हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, प्रमुख रचनाओं एवं रचनाकारों के ब्यौरे होंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐतिहासिक विकास की निरंतरता का समुचित बोध हो सके। कक्षा- **XI** के छात्र इस पुस्तक के उन्हीं हिस्सों को पढ़ेंगे जिनमें आदिकाल से लेकर 19वीं शती तक का साहित्यिक इतिहास होगा।

(वर्ग- XII)

इस वर्ग में 'दिगंत भाग-2' नाम की पुस्तक होगी जिसमें 15 गद्य पाठ, 15 पद्य पाठ एवं 3 द्रुतवाचन के लिए होंगे।

गद्य खंड :

1. चंद्रधर-शर्मा गुलेरी
2. बालकृष्ण भट्ट
3. शिवपूजन सहाय
4. रामधारी सिंह 'दिनकर'